

## भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17 | टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।<br>(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।) | Recommended for approval |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

दिनांक:- 26.09.2018

स्थान:- Lucknow

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर  
डा० प्रशान्त कुमार वर्मा  
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,  
उ०प्र०, लखनऊ